न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, उज्जैन (म.प्र.)

/2006-07 निगरानी

(48) प्रकरण क्रमांक-

R 577-I/07

1- शिवराम पिता अमृतराम मीणा, नि. लसुडियाईला.
2- गोपाल नाबालिग पिता रामरतन कुमावत,
द्वारा सरपरस्त दादा गोविन्दराम पिता जगन्नाथ
निवासी-सरसोद, तहसील एवं जिला मन्दसौर (म.प्र.)
---निगरानीकर्ता /आवेदक

श्री कैलाश जोशी
अभिभाषक द्वारा
उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत
29/3/07

विरूद्ध

1- श्रीमती पेपाबाई पति हीरालाल मीणा
निवासी-लसुडियाईला तह. व जिला मन्दसौर (म.प्र.)
2- ग्राम पंचायत लसुडियाईला,
तहसील एवं जिला मन्दसौर (म.प्र.) ---- अनावेदक

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, उप-खण्ड मन्दसौर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक-83/अपील 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 25/1/2007 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त - निगरानी आवेदन पत्र भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि, ग्राम लसुडियाईला, तहसील मन्दसौर में प्रार्थी शिवराम के नाम से अधिकार अभिलेख राजस्व में भूमि सर्वे नं. 74 रकबा 0.50 आरे भूमि- प्रार्थी को दत्तक पुत्र भैरूलाल जी की मृत्यु के बाद प्रार्थी का व भैरूलाल जी - की पत्नी कस्तूरा बाई का नामांतरण उपरोक्त कृषि भूमि पर किया गया । - कस्तूरा बाई का स्वर्गवास वर्ष 1999 में होकर प्रार्थी का सम्पूर्ण भूमि पर नामांत- रण किया गया और उपरोक्त खाता सर्वे नं. 74 रकबा 0.50 आरे स्थित ग्राम लसुडियाईला पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का राजस्व अभिलेख में नाम नहीं है और उपरोक्त आदेश अंतिम हो चुके हैं जिस पर कभी भी अनावेदक क्र. 1 के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । अनावेदक क्र. 1 सात बहनें हैं परन्तु किसी ... [illegible]

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - RS>>/I/07 जिला - भिंड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधि. भिंड के प्रकरण क्रमांक 83/अपील/04.05 में पारित आदेश दिनांक 25.1.07 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर भिंड को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14-10-19 को कलेक्टर भिंड के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	